प्रमाणीकृत

प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र

वार्षिक प्रतिवेदन (2021-2022)

तीसरी मंजिल, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,

वी.के. कृष्णा मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,

नई दिल्ली- 110001

www.icm.gov.in

icm@mea.gov.in

विषय-सूची

खंड	विषय	पृष्ठ संख्या
I	पृष्ठभूमि	3
II	संस्था के बहिर्नियम	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासी संरचना	6
V	2021-2022 में किए गए कार्यकलाप	8
VI	आईसीएम 2021-22 में प्रशिक्षण कार्यक्रम	13
VII	वित्त एवं प्रशासनिक मुद्दे 2021-2022	13
VIII	शासी परिषद के सदस्य	16
IX	प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र के कर्मचारी	17
X	तस्वीरें	18
XI	तुलन-पत्र	21
	अनुलग्नक-I	23

प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र

1. पृष्ठभूमि

प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और यह स्वायत्त निकाय के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबद्ध सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए शोध थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्र को जुलाई 2008 में कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात स्थापित किया गया था। है। भारत से लोगों के अंतरराष्ट्रीय गमनागमन पर सूचित नीति निर्माण लेने में मदद करने और सुसंगत व सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप तैयार करने के लिए केंद्र अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी अनुसंधान करता है, तथा अच्छे अभ्यासों को प्रलेखित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट करता।

आईसीएम भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा शोध संस्थान है जो विशेषतः भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के कल्याण व संरक्षण सहित उनसे संबद्ध अनुसंधान मुद्दों की जांच करने और अनुसंधान करने हेतु समर्पित है। केंद्र विदेश मंत्रालय का सहायता अनुदान निकाय है और पूर्णतः इसके द्वारा वित्त पोषित है।

वित्त वर्ष 2021-2022 हेतु प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र (आईसीएम) के वित्तीय विवरणों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रमाणन लेखापरीक्षा 8 से 24 अगस्त 2022 तक की गई थी।

2. संस्था के बहिर्नियम

संस्था के बहिर्नियम (एमओए) में आईसीएम के दिन-प्रतिदिन के संचालन हेतु नियम और विनियम समाविष्ट हैं।

2.1 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कार्य:

1. विदेशों में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर डेटाबेस बनाना और उसका रखरखाव करना।
2. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति के अंतराल तथा उन अंतरालों को भरने में भारतीय श्रमिकों के आवश्यक कौशल सेट की पहचान करना।
3. पेशेवर निकायों एवं निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन हेतु कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
4. विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू करना।
5. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना में जनशक्ति के आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार प्रोत्साहन एजेंसियों के साथ समन्वय
6. अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के रुझानों एवं गतिशीलता, भारत तथा विदेशों में प्रवासी भारतीय श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण की शुरुआत और समर्थन, अपने श्रमिकों को भेजने वाले अन्य देशों की सर्वोत्तम तरीकों को बेंचमार्क करना तथा नीतिगत पहल/रणनीतियों की सिफारिश करना।
7. इस उद्देश्य हेतु कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए आवश्यकता-आधारित कल्याण सहायता का प्रबंध करना।

2.2 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार मुख्य उद्देश्य

निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को 'उपभोक्ताओं' के रूप में स्थापित करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों पर अध्ययन करना तथा भारतीय युवाओं के लिए विदेश में उभरते रोजगार के अवसरों की पहचान करना

भारत को कुशल, प्रशिक्षित एवं योग्य श्रमिकों के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना

भारतीयों के विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मध्यम से दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने और क्रियान्वित करने में 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के रुझानों के साथ-साथ अन्य अपने श्रमिक भेजने वाले देशों तथा ये श्रमिक जहां कार्य करते हैं, उन देशों की रणनीतियों की नियमित निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

विशिष्ट राज्यों / देश एवं लिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अनुकूलित करना।

श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और उसे बनाए रखना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याण योजनाओं का संचालन करना।

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

प्रमुख कार्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर, केंद्र विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन एवं कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति एवं प्रवासन का प्रशासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन विप्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी श्रमिक
- श्रम बाजार और भारतीयों के लिए संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सुरक्षित, कानूनी एवं मानवीय प्रवासन से संबंधित सभी मुद्दे

4. शासी संरचना

केंद्र में दो स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय और एक कार्यकारी निदेशालय सम्मिलित है।

शासी निकाय की अध्यक्षता सचिव (सीपीवी एवं ओआईए), विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो इसके अध्यक्ष हैं।

अन्य पदेन सदस्य हैं -

क. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

ख. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

ग. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा

घ. बारी-बारी से तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

ङ. सरकार द्वारा बाहरी नामिती के रूप में चार विशेषज्ञ

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में, संयुक्त सचिव [ओआईए-I], विदेश मंत्रालय, आईसीएम के सीईओ हैं।

शासी निकाय और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संस्था के बहिर्नियम में शासी परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभावी कामकाज एवं कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान/निगरानी, वित्त व प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

वित्त वर्ष **2021-22** तक आईसीएम की गवर्निंग काउंसिल की **10 (**दस**)** बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के दिनांक और स्थान नीचे दिए गए हैं:

बैठक	दिनांक	स्थान
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली

V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली
VIII	06.12.2018	नई दिल्ली
IX	17.12.2020	नई दिल्ली
X	30.09.2021	नई दिल्ली

4.2 कर्मचारी

आईसीएम में वर्तमान में **3** कर्मचारी हैं। इनकी भर्ती संगठन की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से संविदा के आधार पर की जाती है। उन्हें या तो एक या दो वर्ष के लिए संविदा पर रखा जाता है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।

आईसीएम दो क्षेत्रों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं प्रवासी पर शोध और पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रशिक्षु भी नियुक्त करता है।

5. 2021-22 में किए गए कार्यकलाप

क. जापान सरकार की विशिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) योजना के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाएं

आईसीएम ने जापान की निर्दिष्ट कुशल श्रमिक (SSW) योजना हेतु वर्ष 2021-2022 में एक टीओटी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में कुल 34 प्रशिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रमाणित किया गया जो पीडीओ प्रशिक्षण देने के योग्य हैं।

तालिका 1: जापान सरकार की विशिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) योजना के लिए टीओटी कार्यशाला

क्र.सं.	राज्य	शहर	कार्यशाला की तिथि	साझेदार	मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या (आईसीएम द्वारा प्रमाणित)
1.	दिल्ली (ऑनलाइन माध्यम)	नई दिल्ली	7 अक्टूबर 2021	आईसीएम, ओआईए आई	34
				कुल	**34**

ख. प्रवासन एवं गतिशीलता के साझा एजेंडे पर यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ तकनीकी सहयोग

प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र (आईसीएम) भारत तथा यूरोपीय संघ के आम एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (सीएएमएम) पर संयुक्त घोषणा के तत्वावधान में परिकल्पित और कार्यान्वित तकनीकी सहायता परियोजना में विदेश मंत्रालय (एमईए) का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय भागीदार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और ब्रसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र (आईसीएमपीडी) यूरोपीय संघ की ओर से इस परियोजना के कार्यान्वयन भागीदार रहे। परियोजना ने भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच चार प्राथमिक क्षेत्रों - नियमित प्रवासन, अनियमित प्रवासन, प्रवासन के विकास प्रभाव को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के अंतर्गत बेहतर गतिशीलता एवं प्रवासन व्यवस्था को बढ़ावा देने का समर्थन किया है।

यह परियोजना 24 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक पूरी हो गई। यह कार्यक्रम परियोजना के मुख्य परिणामों के साथ-साथ भावी सहयोग के लिए सामने रखे गए विचारों तथा सुझावों (कृपया अनुलग्नक- I देखें) को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र (आईसीएम) ने परियोजना के अंतर्गत कई गतिविधियां शुरु की। केंद्र ने अपने परियोजना भागीदारों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र (आईसीएमपीडी) के साथ सीएएमएम के तहत विभिन्न सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित कीं - जैसे कि 10 जून 2021 को आयोजित अनियमित प्रवासन पर संगोष्ठी, 22 नवंबर 2021 को आयोजित सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएसए) पर संगोष्ठी, और 16 दिसंबर 2021 को आयोजित प्रवासन डेटा पर यूरोपीय संघ-भारत विनिमय। परियोजना के अंतर्गत कई सूचना-आधारित उत्पाद एवं शोध पत्र विकसित किए गए थे जैसे कि भारत में पढ़ने वाले यूरोपीय छात्रों के लिए चिह्नांकन-सूची; एसएसए पर अध्ययन; भारत-यूरोपीय संघ प्रवासन प्रवृत्तियों पर आधारभूत प्रतिवेदन, आयरलैंड एवं जर्मनी में मौजूद भारतीय प्रवासियों का अध्ययन; साथ ही इटली और फ्रांस पर एकीकरण हैंडबुक। यूरोपीय संघ जाने वाले भारतीयों के लिए पूर्व-प्रस्थान सूचना पर हैंडबुक तैयार की गई और 11 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई। इस हैंडबुक का राज्य स्तरीय विमोचन पंजाब के लिए 6 जनवरी, 2022 को और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 20 जनवरी, 2022 को किया गया। विमोचन कार्यक्रम के ज़रिए हैंडबुक को प्रवासन की व्यवस्था से जुड़े हितधारकों के साथ साझा करने और हैंडबुक को आगे प्रसारित करने के लिए उनकी मदद हासिल करने का एक मंच मिला।

ग. 'भारत में डेटा-सूचित एवं प्रवासी-केंद्रित प्रवासन प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण' पर आईओएम के साथ सहयोग परियोजना

इसके अलावा, केंद्र ने 'भारत में डेटा-सूचित एवं प्रवासी-केंद्रित प्रवासन प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण' नामक एक परियोजना पर आईओएम के साथ सहयोग किया। 23 मार्च 2021 को सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) द्वारा लॉन्च की गई परियोजना प्रवासन से संबंधित डेटा का इस्तेमाल करने वाले सभी निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में सरकार की क्षमता का समर्थन एवं सृजन करने के लिए तैयार की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सुदृढ़ प्रवासन प्रबंधन ढांचे के ज़रिए भावी भारतीय प्रवासियों के लिए श्रम प्रवास के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करना है। तकनीकी सलाहकार समिति (जिसमें तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों, श्रम प्रवासन विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारक सम्मिलित हैं) की पहली बैठक 20 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। परियोजना के अंतर्गत लिंग संवेदनशील प्रवासन संबंधी डेटा की आवश्यकता का आकलन तथा रणनीतिक अनुशंसा रिपोर्ट पर एक अध्ययन विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए सलाहकारों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में, जुलाई-अगस्त 2021 के दौरान मंत्रालयों के प्रमुख हितधारकों (एमईए, एमओएसपीआई और महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त), विशेषज्ञों और ब्रसेल्स में भारतीय मिशन के साथ परामर्श किया गया। तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) (जिसमें विदेश मंत्रालय, आईसीएम, आईओएम इंडिया और जीएमडीएसी के प्रतिनिधि शामिल हैं) की पहली अर्ध-वार्षिक समीक्षा 31 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। तकनीकी कार्य समूह की दूसरी बैठक 11 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी, जिसके दौरान सलाहकारों भावी भारतीय प्रवासियों के लिए उभरते यूरोपीय श्रम बाजार पर अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

घ. सेमिनार और पैनल चर्चाएं

नई शोध पहलों के अंतर्गत, आईसीएम प्रायः विभिन्न पैनल चर्चाओं/परामर्शों का आयोजन करता रहा है। इसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है। इन पैनल चर्चाओं में संबंधित राज्य सरकार निकायों, उद्योग मंडलों, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संस्थानों, भर्ती एजेंसियों, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संगठनों के कई प्रतिभागियों एवं वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इन चर्चाओं का उद्देश्य श्रम गतिशीलता से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के मंच के रूप में कार्य करना है।

तालिका 2: सेमिनार/चर्चा/परामर्श

क्र.सं	पैनल चर्चा की तिथि	विषय
1	23 अप्रैल 2021	श्रम बाजार के साथ स्किल मैपिंग को संरेखित करने के तरीके पर हितधारक परामर्श : दक्षिणी संस्करण
2	1 जुलाई 2021	'भारत से जीसीसी देशों तक: प्रवासन चक्र में विदेशी नियोक्ताओं की भूमिका की जांच'
3	12 अगस्त 2021	अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के अवसर: स्कैंडिनेवियाई / नॉर्डिक क्षेत्र का आकलन
4	16 सितंबर 2021	श्रम बाजार के साथ स्किल मैपिंग को संरेखित करने के रास्ते : पश्चिमी संस्करण
5	22 सितंबर 2021	डॉ. दिलीप रथ द्वारा कार्य के लिए प्रवास पर विशेष व्याख्यान: भारत में विप्रेषण के भविष्य का आकलन'
6	29 नवंबर 2021	'अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के साथ स्किल मैपिंग को संरेखित करने के रास्ते: पश्चिमी संस्करण' पर हितधारकों के साथ परामर्श
7	21 जनवरी 2022	महामारी, स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं आपूर्ति-मांग गतिशीलता - भारत से स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिशीलता पर एक नज़र
8	3 मार्च 2022	श्रम बाजार के साथ स्किल मैपिंग को संरेखित करने के रास्ते पर हितधारक परामर्श : उत्तरी संस्करण
9	24 मार्च 2022	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम 2022: जीसीएम कार्यान्वयन और भारत के लिए संभावनाएं

ङ. पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण पर संदर्भ सामग्री

प्रवासी श्रमिकों के पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण की सुविधा के उद्देश्य से आईसीएम द्वारा निम्नलिखित संदर्भ सामग्री को अद्यतन किया गय था -

क्र.सं	विषय	भाषा
1	आकांक्षी महिला कामगारों के लिए सुरक्षित प्रवास की ओर विषय पर पुस्तिका (यूएन वुमेन के सहयोग से)	अंग्रेज़ी
2	कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर पुस्तिका	अंग्रेज़ी
3	जापान में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक योजना पर पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण मैनुअल	अंग्रेज़ी
4	विदेश में अध्ययन के लिए छात्र पुस्तिका	अंग्रेजी और हिंदी
5	पीडीओटी, पीबीबीवाई, आईसीडब्ल्यूएफ और एसएसडब्ल्यू पर पोस्टर	अंग्रेजी और हिंदी
6	यूरोपीय संघ जाने वाले भारतीयों के लिए पूर्व-प्रस्थान सूचना पुस्तिका	अंग्रेज़ी

च. अबू धाबी संवाद कार्यशालाओं में भागीदारी

इसके अतिरिक्त, आईसीएम ने 05 जुलाई 2021 को आयोजित प्रवासन प्रशासन की चुनौतियों का तकनीकी समाधान तैयार करना; और 07 जुलाई 2021 को आयोजित कौशल गतिशीलता भागीदारी और डेटा साझाकरण विषय पर दो अबू धाबी संवाद कार्यशालाओं में भाग लिया।

छ. आउटरीच गतिविधियां

विदेश मंत्रालय (एमईए) और आईसीएम ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल की बदलती आवश्यकताओं और भारतीय प्रवासी श्रमिकों के दायरे के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु राज्यों के साथ हितधारकों के साथ निम्नलिखित जुड़ाव कार्यक्रमों का आयोजन किया।

1	29 अक्टूबर 2021	विदेश में रोजगार के अवसरों, असम के बदलते परिदृश्य पर राज्यों के साथ हितधारकों की भागीदारी।
2	1 नवंबर 2021	विदेशी रोजगार के अवसरों के बदलते परिदृश्य पर राज्यों के साथ हितधारकों की भागीदारी, कोलकाता।
3	4 दिसंबर 2021	प्रवासी रोजगार के अवसरों के बदलते परिदृश्य पर राज्यों के साथ हितधारकों की भागीदारी, हैदराबाद।
4	6 दिसंबर 2021	विदेशी रोजगार अवसरों के बदलते परिदृश्य पर राज्यों के साथ हितधारकों की भागीदारी, चेन्नई।
5	17 दिसंबर 2021	विदेशी रोजगार के अवसरों (आभासी मोड) के बदलते परिदृश्य पर भर्ती एजेंटों के साथ हितधारक जुड़ाव।

दोनों संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु डोमिनिकन गणराज्य के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन (आईएनएम) और आईसीएम के बीच एक ऑनलाइन तकनीकी आदान-प्रदान 20 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीआईएसएस के पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड रिसर्च ने 7-10 फरवरी 2022 के दौरान भारत तथा भारतीय प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर चार दिवसीय ऑनलाइन लघु अवधि कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएओ, आईसीएम 07 फरवरी 2022 को 'भारतीय श्रम प्रवासियों' के गल्फ ड्रीम, उत्प्रवास/प्रवास प्रक्रियाओं एवं प्रवासन परिणामों की जटिलता' पर एक आभासी सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ज. कार्य के भावी क्षेत्र

आने वाले समय में, केंद्र परामर्श तथा क्षेत्रीय आयोजनों के ज़रिए राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। भविष्य में जिन विषय-क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा, उनमें; स्कैंडिनेविया, जीसीसी जैसे विशिष्ट देशों व क्षेत्रों के श्रम बाजार अध्ययन करना; विकास में उनके योगदान को बढ़ाने हेतु प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के नए तरीकों की खोज करना; विशेषतः विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए बीमा योजनाएं शुरू करने की संभावनाओं का विश्लेषण करना तथा नियमित प्रवासन को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया अभियानों, प्रसार के लिए इन्फोग्राफिक्स, भारतीय प्रवासियों की सफलता की कहानियों के ज़रिए आउटरीच गतिविधियों का संचालन करना शामिल हैं। अन्य गतिविधियों में एसएसडब्ल्यू योजना जापान पर टीओटी कार्यशालाओं का आयोजन, प्रासंगिक विषयों पर वर्चुअल पैनल चर्चा, आईओएम के साथ सहयोग परियोजना, और ओआईए प्रभाग, विदेश मंत्रालय की जरूरतों के आधार पर अन्य शैक्षणिक शोध गतिविधियां सम्मिलित हैं।

6. आईसीएम 2021-22 में प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष सम्मिलित हुए प्रशिक्षु सुश्री सोनाली सिंह (दिसंबर 2020 में शामिल), सुश्री यशना अग्रवाल (दिसंबर 2020 में शामिल), सुश्री सौम्या अरोड़ा (मार्च 2021 में शामिल), श्री धनंजय ठाकुर (अप्रैल 2021 में शामिल), सुश्री लक्ष्मीप्रिया पीबी (सितंबर 2021 में शामिल), श्री अभिषेक यादव (जनवरी 2022 में शामिल), और श्री कार्तिकेय विपुल मिश्रा (फरवरी 2022 में शामिल) हैं।

7. वित्त एवं प्रशासनिक मुद्दे 2021-22

क. आयोजित की गईं प्रमुख बैठकें

आईसीएम की वित्त समिति की 9वीं बैठक 16 जून, 2022 को आयोजित की गई थी। समिति ने विभिन्न राज्य सरकार निकायों और सीएएमएम जैसे अन्य भागीदारों के साथ जारी परियोजनाओं के साथ-साथ आयोजित कार्यशालाओं के संबंध में आईसीएम की ओर से हुई प्रगति का संज्ञान लिया। बैठक के दौरान आईसीएम के प्रशासनिक व वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई और आईसीएम के वार्षिक खातों को मंजूरी दी गई।

ख. वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सीए फर्म की नियुक्ति

मैसर्स वी.डी. तिवारी एंड कंपनी को पुनः वित्त वर्ष *2021-22* हेतु आईसीएम के खातों का संकलनकर्ता नियुक्त किया गया है। फर्म ने वित्तीय वर्ष *2021-22* के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली है तथा रिपोर्ट वित्त समिति की *9*वीं बैठक में प्रस्तुत की गई और अनुमोदित की गई।

ग. एफसीआरए पंजीकरण

आईसीएम का *1* दिसंबर *2016* को पंजीकरण सं. *#231661660* के साथ एफसीआरए *(2010)* के तहत पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आईसीएम ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), मुख्य शाखा नई दिल्ली में एक नया खाता खोला है। इसके अतिरिक्त, आईसीएम को वित्त वर्ष *2018-19, 2019-20, 2020-21* और *2021-22* में विदेश से कोई योगदान नहीं मिला है। आईसीएम ने पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है।

घ. प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा द्वारा लेखा परीक्षा

आईसीएम ने अपने अध्यक्ष की सिफारिश पर आईसीएम की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा से संपर्क किया और लेखापरीक्षा के लिए उनकी सहमति प्राप्त की। प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा द्वारा *1* दिसंबर *2020* से *4* दिसंबर *2020* तक की अवधि हेतु लेखापरीक्षा की गई और रिपोर्ट प्रदान की गई। आईसीएम ने हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया और प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए।

ङ. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान

आईसीएम एक अनुदान सहायता निकाय है जो पूरी तरह से विदेश मंत्रालय के फंड से समर्थित है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आईसीएम द्वारा कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि आईसीएम के पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के लिए पिछले आवंटन से फंड उपलब्ध था और इसे आईसीएम के भविष्य के उपयोग के लिए कॉर्पस फंड में परिवर्तित कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 को आईसीएम के पास निधियों की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं	खाते का नाम	खाता नंबर	31 मार्च 2022 तक शेष राशि (रु.)
1	आईसीएम केनरा बैंक - मुख्य खाता	91462010024313	96,65,278
2	आईसीएम केनरा बैंक - ओटीएफ खाता	91462010026206	2,543
3	आईसीएम केनरा बैंक इंडिया-ईयू खाता	91462010027675	शून्य

वित्त वर्ष *2021-22* हेतु प्राप्तियां और भुगतान खाता नीचे दिया गया है*:*

प्राप्तियां / आय	राशि (रु.)	राशि/प्राप्तियां	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त	*0*	टीडीएस	*4,46,494*
बैंक का ब्याज **आईसीएम ए/सी*: 13,14,726*** **ईयू ए/सी*: 1,505*** **ओटीएफ ए/सी*: 259***	*13,16,490*	अचल सम्पत्ति	-
अन्य आय/प्राप्तियां	*2,10,765*	कर्मचारियों को वेतन	*24,91,160*
उप कुल	***15,27,255***	प्रशिक्षुओं को वजीफा	*11,75,864*
		वाहन किराया शुल्क	*2,69,434*

		संगोष्ठी व्यय	-
		भर्ती और विज्ञापन व्यय	-
		आउटसोर्स कर्मचारी	*3,17,740*
		पैनल / पीडीओटी चर्चा	*4,992*
		मुद्रण और स्टेशनरी	*1,45,263*
		विविध व्यय	*1,26,272*
		मरम्मत एवं रखरखाव	*31,270*
		सीएजी लेखापरीक्षा शुल्क	*1,27,125*
		छात्र प्रवास	-
		उप कुल	***51,35,614***
		सावधि जमा	**-**
बैंक **आईसीएम ए/ सी *: 1,31,84,842*** **ईयू ए/सी *: 60,589*** **ओटीएफ ए/सी*: 30,565*** **नकद *: 717***	***1,32,76,713***	**बैंक** **आईसीएम ए/सी*: 96,65,278*** **ईयू ए/सी*: शून्य*** **ओटीएफ ए/सी*: 2,543*** **कैश*: 533***	***96,68,354***
कुल	***1,48,03,968***	**कुल**	***1,48,03,968***

8. शासी परिषद के सदस्य 2021-22

पदेन सदस्य

1. सचिव, सीपीवी व ओआईए, विदेश मंत्रालय-अध्यक्ष
2. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) या प्रतिनिधि
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या प्रतिनिधि (एमओएल एंड ई) या प्रतिनिधि
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), या प्रतिनिधि
5. सीईओ, आईसीएम-सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-I, विदेश मंत्रालय)

राज्य सरकारें

1. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार या प्रतिनिधि
2. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार या प्रतिनिधि
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार या प्रतिनिधि

मनोनीत विशेषज्ञ

1. श्री. श्याम के जी परांडे, महासचिव, एआरएसपी, नई दिल्ली
2. डॉ. अमरजीव लोचन, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. सुश्री गायत्री कंठ, परियोजना अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन
4. श्री. यूसुफ अली, अध्यक्ष और एमडी, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, यूएई

9. प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र के कर्मचारी

1.	डॉ. सुरभि सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ)
2.	श्री मिनिश मिश्रा	लेखा अधिकारी (एओ) (31 मई 2021 को कार्यकाल समाप्त)
3.	श्री अरुण कुमार	लेखा अधिकारी (एओ)
4.	डॉ प्रियदर्शिका सुब्बा	अनुसंधान सहायक (आरए) (30 नवंबर 2021 को कार्यकाल समाप्त)
5.	डॉ. गाथा नौटियाल	अनुसंधान सहायक (आरए)
6.	सुश्री सोनाली सिंह	प्रशिक्षु
7.	सुश्री यशना अग्रवाल	प्रशिक्षु
8.	श्री धनंजय ठाकुर	प्रशिक्षु
9.	सुश्री लक्ष्मीप्रिया पीबी	प्रशिक्षु
10.	श्री अभिषेक यादव	प्रशिक्षु
11.	श्री कार्तिकेय मिश्रा	प्रशिक्षु
12.	एम. एस. इंटरप्राइजेज / स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (प्रा.) लिमिटेड	कार्यालय परिचारक

10. तस्वीरें

यूरोपीय संघ जाने वाले भारतीयों के लिए पूर्व-प्रस्थान पुस्तिका का राष्ट्रीय विमोचन, 11 नवंबर 2021

आईओएम सहयोग परियोजना - दूसरी तकनीकी कार्य समूह की बैठक, 11 फरवरी 2022

आईसीएम पैनल चर्चाएँ

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम 2022: जीसीएम कार्यान्वयन और भारत हेतु संभावनाएं,

24 मार्च 2022

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के साथ स्किल मैपिंग को संरेखित करने के रास्ते पर परामर्श: पूर्वी संस्करण,

29 नवंबर 2021

पुस्तिका

सांख्यिकीय आधारभूत रिपोर्ट

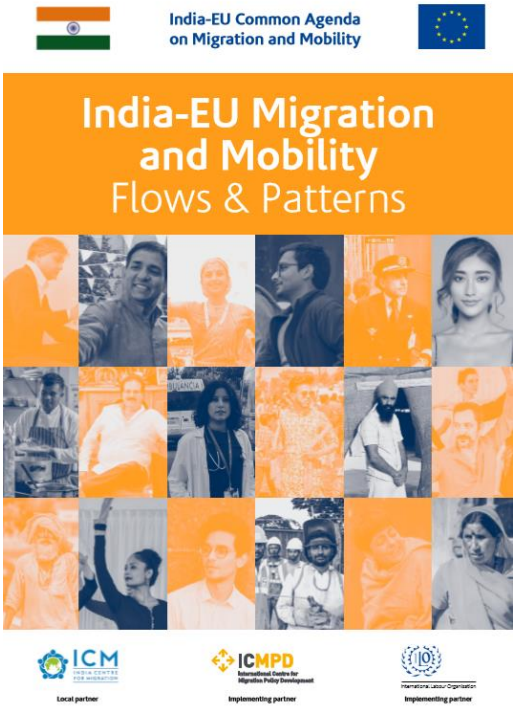

11. तुलन-पत्र

प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र

तीसरी मंजिल, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,

वी.के. कृष्णा मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,

नई दिल्ली- 110001

31-मार्च-2022 तक का तुलन-पत्र

	विवरण	अनुसूची	31-मार्च-2022 तक		31-मार्च-2021 तक		
I.	**कॉर्पस/ पूंजीगत निधि और देयताएं**						
1	**पूंजीगत निधि**	1	5,21,73,364	5,21,73,364	5,55,92,404	5,55,92,404	
2	निर्धारित/ धर्मादा निधि						
	सहायता अनुदान	2	-	-	-	-	
3	वर्तमान देयताएं						
	(क) अन्य चालू देयताएं	3	2,56,185		77,906		
	(ख) सुरक्षा जमा		-	2,56,185	-	77,906	
	कुल			**5,24,29,549**		**5,56,70,310**	
II.	**<u>परिसंपत्तियाँ</u>**						
1	अचल सम्पत्ति	4	21,01,973		12,66,514		
	संलग्न सूची के अनुसार			21,01,973		12,66,514	
2	सावधि जमा		3,76,14,216	3,76,14,216	3,69,83,897	3,69,83,897	
3	चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि						
	(क) ऋण और अग्रिम	5	23,21,053		38,13,874		
	(ख) जमा	6	5,20,554	28,41,607	3,29,312		
	© *उपार्जित ब्याज*			2,03,399		41,43,186	
4	(ग) नकद और बैंक शेष	7	96,68,354	96,68,354	1,32,76,713	1,32,76,713	
	कुल			**5,24,29,549**		**5,56,70,310**	

	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 1					
इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में							
वी.डी. तिवारी एंड कंपनी के लिए					**प्रवासन के लिए भारतीय केंद्र के लिए**		
सनदी लेखाकार							
एफआरएन 002882N							
सी.ए.। पुष्पेंद्र तिवारी					**श्री अब्बागनी राम्**		
साझेदार					(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)		
एम. संख्या 503170							
स्थानः नई दिल्ली							
दिनांक:							

अनुलग्नक - I

परियोजना के हिस्से के रूप में निम्नलिखित ज्ञान-आधारित उत्पाद और शोध पत्र विकसित किए गए हैं-

- भारत में पढ़ने वाले यूरोपीय छात्रों के लिए जाँच सूची।
- भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर अध्ययन।
- भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की बैठक में सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर रिपोर्ट
- आयरलैंड में भारतीय प्रवासियों के अध्ययन के वर्चुअल लॉन्च की इवेंट रिपोर्ट।
- भारत-यूरोपीय संघ प्रवासन और गतिशीलता रुझान एवं पैटर्न - सांख्यिकीय आधारभूत रिपोर्ट
- यूरोपीय संघ में गंतव्य अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय प्रवासियों के योगदान पर अध्ययन
- भारत में यूरोपीय संघ-आधारित स्टार्ट-अप के प्रवेश एवं विकास को सुगम बनाना: चुनौतियां और अवसर पर तकनीकी शोध-पत्र
- आयरलैंड और जर्मनी में भारतीय प्रवासियों पर अध्ययन।
- आईटी, ऑटोमोटिव, स्टार्ट-अप्स, नियमित प्रवासन, अनियमित प्रवासन, विकास प्रभाव पर छह सूचना संक्षेप।
- इटली तथा फ्रांस में भारतीयों का एकीकरण (अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी)
- यूरोपीय संघ के श्रम बाजार के आकलन पर अध्ययन
- पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण टूलकिट
- भारत में विदेशी शिक्षा सलाहकार/एजेंट के चयन पर यूरोपीय संघ के विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय संदर्भ उपकरण
- भारत-यूरोपीय संघ छात्र गतिशीलता का समर्थन करने वाला पॉडकास्ट
- यूरोप में अध्ययन की तैयारी करने वाले - भारतीय छात्रों के लिए जांच सूची
- यूरोपीय संघ-भारत गतिशीलता रुझान और सीएएमएम पर इन्फोग्राफिक्स
- कौशल की कमी और प्रतिभा की गतिशीलता पर यूरोपीय संघ भारत के नियोक्ता परिप्रेक्ष्य-बैठक रिपोर्ट
- प्रवासन व्यवस्था बैठक पर रिपोर्ट
- प्रतिभा गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ संगोष्ठी पर रिपोर्ट
- यूरोपीय संघ के कानूनी प्रवासन ढांचे पर भारतीय आईटी उद्योग के प्रभावों पर नैसकॉम वेबिनार की रिपोर्ट

- प्रेषण और कोविड पर वेबिनार पर रिपोर्ट
- माइग्रेशन बेसलाइन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का आदान-प्रदान और साझा कार्रवाई की पहचान करने संबंधी संगोष्ठी पर रिपोर्ट
- अनियमित प्रवासन को रोकने और निपटने पर वर्चुअल एक्सचेंज पर रिपोर्ट
- यूरोपीय संघ दक्षताओं पर इंटरएक्टिव शिक्षण साधन